भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 156

सोमवार, 04 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

ईपीएफ में उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू करना

156. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन मामले में 4 नवम्बर, 2022 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार अभिदाताओं को वेतन के अनुपात में कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि की गणना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन निधि में भारी धनराशि बची हुई है जिनका कोई दावेदार/कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है और यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार पेंशन निधि में उक्त शेष राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार वेतन के अनुपात में पेंशन के भुगतान के लिए उक्त शेष राशि का उपयोग करने पर विचार करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(v) और 44(vi) के साथ पठित पैरा 44(ix) में निहित निर्देशों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दिनांक 29.12.2022 को पेंशनरों जो 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान के लिए संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था, उनसे ऑनलाइन आवेदन मांगा गया परन्तु उनके संयुक्त विकल्प ईपीएफओ (कट-ऑफ तिथि के कारण) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.03.2023 को या उससे पहले दाखिल किए जाने थे। ऑनलाइन संयुक्त विकल्प दाखिल करने की तिथि को दिनांक 03.05.2023 तक बढ़ा दी गई थी तत्पश्चात दिनांक 26.06.2023 तक और उसके बाद दिनांक 11.07.2023 तक बढ़ा दी गई थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(iii) और पैरा 44(iv) के साथ पठित पैरा 44(v) में निहित निर्देशों के अनुसार, ईपीएफओ द्वारा दिनांक 20.02.2023 को ऐसे कर्मचारियों के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं जिनके द्वारा ऑनलाइन संयुक्त विकल्प दाखिल किए जाने चाहिए थे, तथा वे दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवा में थे और दिनांक 01.09.2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे, परंतु वे कर्मचारी पेंशन योजना के पैरा 11(3) के पूर्ववर्ती परंतुक के तहत (ईपीएस), 1995 के संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.05.2023 तक या उससे पहले दाखिल किए जा सकते थे। जिस तारीख तक संयुक्त विकल्प भरे जाने थे, उसे दिनांक 26.06.2023 तक और उसके बाद दिनांक 11.07.2023 तक बढ़ा दिया गया था।

जारी...2/

निर्णय के पैरा 44(vii) में निहित निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए, सरकार ने दिनांक 3 मई, 2023 को दो अधिसूचनाएं जारी की हैं अर्थात एसओ 2060 (अ) और एसओ 2061 (अ) दिनांक 3 मई, 2023।

(ख): उच्चतर वेतन पर पेंशन के लिए पात्र पाए गए पेंशनभोगियों/सदस्यों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के अनुपालन में पेंशनभोगियों/सदस्यों को मांग नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उच्च वेतन पर देय पेंशन की राशि मामला दर मामला पृथक होगी।

(ग) और (घ): ईपीएस, 1995 के तहत पेंशन निधि एक जमा निधि है। पेंशन निधि में, व्यक्तिगत खातों का रखरखाव नहीं किया जाता है। ईपीएस, 1995 के सदस्य सेवा के वर्षों की संख्या पर निर्भर उनकी पात्रता के आधार पर निकासी लाभ या पेंशन के लिए पात्र हैं। दिनांक 31.03.2019 तक निधि के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन निधि घाटे में है।

****